अंतिम विनियम
मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2024

क्रमांक – 480/मप्रविनिआ/2024 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 86 की उप–धारा (ख) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण–प्रथम) 2009 {आरजी30(I), वर्ष 2009), जिसे एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण– प्रथम) 2009 में द्वितीय संशोधन

प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण–प्रथम) 2009 {आरजी30(I)(ख), वर्ष 2009}, दिनांक 20.02.2009 को अधिसूचित किया गया था तथा यह जबकि भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा दिनांक 01.09.2023 को अधिसूचित विद्युत संशोधन नियम, 2023 के अनुसार तथा वैकल्पिक समर्थन (Stand by support) हेतु प्रभारों के पुनरीक्षण हेतु इन विनियमों में कतिपय परिवर्तन किये जाने आवश्यक हो गये हैं, अतएव मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण–प्रथम) 2009 में संशोधन अधिसूचित किया जा रहा है।

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ तथा व्याख्या

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण–प्रथम) 2009, (द्वितीय–संशोधन) {एआरजी–30(I)(*ii*), वर्ष 2024)},** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र के इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 1 में संशोधन

2.1 मूल विनियमों के विनियम 1.4 में उप–खण्ड(एए) को निरस्त किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, आयोग सचिव.

2.2 **मूल विनियमों के विनियम 1.5 के स्थान पर निम्न खण्ड 1.5 स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"1.5 किसी भी विद्युत संयंत्र को आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्र के रूप में केवल उसी दशा में चिन्हांकित किया जाएगा जब वह समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत नियम, 2005 में अन्तर्विष्ट शर्तों की तुष्टि करता हो।"

2.3 **मूल विनियमों के विनियम 1.6 के स्थान पर निम्न विनियम 1.6 स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"1.6 यदि किसी वित्तीय वर्ष में विद्युत नियम, 2005 में अन्तर्विष्ट शर्तों की पूर्ति आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादक और/या आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) द्वारा नहीं की जाती हो तो मप्रविनिआ (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 के विनियम 7 में निर्दिष्ट निष्कर्षों का अनुसरण किया जाएगा। आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादक और आबद्ध (केप्टिव) उपयोगकर्ता(ओं) को मप्रविनिआ (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 के विनियम 9 के अनुसार पदांकित अधिकारी द्वारा अवधारण संबंधी आबद्ध (केप्टिव) अवस्था (Status) के निर्णय के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।"

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन

3.1 **मूल विनियमों के विनियम 4.15 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :**

"विनियम 4.15 में प्रकट हो रहे शब्द तथा अंक "रू31" और "रू25" के स्थान पर क्रमशः शब्द तथा अंक "रू16" और "रू13" स्थापित किए जांए।"

3.2 **मूल विनियम के विनियम 4.15 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

" परन्तु आगे यह और कि वचनबद्धता प्रभार (Commitment Charges) जिनमें आदेश दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से समयावृद्धि की गई है, को प्रयोज्य तिथि (Applicable date) से इस संशोधन के अनुसार क्रियाशील होने की तिथि (date of commencement) तक पुनरीक्षित वचनबद्धता प्रभार जैसा कि इन्हें ऊपर दर्शाया गया है दिनांक 31.03.2027 तक प्रयोज्य होंगे तथा तत्पश्चात् इनकी समीक्षा की जाएगी।"